मुन्तकिली प्रकरण सं0 28/2017 अनवानी 1–हरविन्द्र सिंह पुत्र मघेल सिंह जाति जटसिख नि0 बुर्जवाला तह0 करनपुर हाल पटटी किरपाल तह0 ऐलनाबाद सिरसा–नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति दलजीत कौर 2–श्रीमति दलजीत कौर पत्नि बघेल सिंह जाति जटसिख नि0 बुर्जवाला तह0 करनपुर हाल पटटी किरपाल तह0 ऐलनाबाद जिला सिरसा बनाम 1–उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर 2– लखासिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख नि0 बुर्जवाला तहसील श्रीकरनपुर 2– बघेलसिंह 4–शमशेर सिंह 5–बघेलो 6–देवेन्द्रसिंह 7–रविन्द्रसिंह 8–गुडडो 9–गुरमीत कौर 10–सुखजीत कौर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.05.2017

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर के न्यायालय में प्रार्थीगण का एक वाद संख्या 24/2012 अनवानी हरविन्द्र सिंह आदि बनाम लखासिंह आदि अन्तर्गत धारा 88,53, 188, 92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम मय विविध प्रकरण सं0 17/2012 धारा 212 आरटीए का लंबित है। वाद पत्र में जबाबुल जबाब एवं विविध प्रा0 पत्र प्रकरण में बहस के लिए तारीख पेशी 27.04.2017 नियत है। अप्रार्थीगध बघेलसिंह एवं शमशेरसिंह राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है उनका बहत ही नजदीक संबंध वर्तमान में सताधारी राजनैतिक लोगो से है। उपखण्ड अधिकारी करनपुर के यहां भी इन लोगो का बहुत आना जाना है। अप्रार्थीगण ऐलानिया तौर पर कह रहे है कि वे फैसला अपनी पहुंच व दबाब से अपने पक्ष में करवा लेंगे और उनकी पीठासीन अधिकारी से बात भी हो चुकी है।

उनका आगे कथन है कि प्रार्थीया औरतजात है और उसका पुत्र नाबालिग है। प्रार्थीया के नाबालिक पुत्र एवं उसके वादाधीन भूमि में हक व हिस्सा तय होना है जिस पर उसका भविष्य निर्भर करता है। अगर प्रार्थीगण का वाद या स्थगन आदेश खारिज हो जाता है तो प्रार्थीगण के साथ भारी अन्याय होगा और स्थगन आदेश की खारिज की अवस्था में अप्रार्थीगण भूमि को खुर्द बुर्द कर सकते है।

उनका आगे कथन है कि प्रकरण वर्तमान में दिनांक 10.04. 17 व इसके पश्चात 13.04.17 व फिर 20.04.17 तारीख मुकरर्र की गयी है। प्रार्थीया के एडवोकेट द्वारा आदेश 8 नियम 9 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी के जबाब के बिना ही हाथ के हाथ खारिज कर दिया गया और उनके द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत उसी रोज प्रस्तुत प्रा0 पत्र पर बहस के लिए दबाब डाला गया कि आज ही बहस करे। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्या नही मिलेगा। इसलिए प्रकरण सुनवाई हेतु स्वीकार किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद सं0 24/2012 मय प्रा0 पत्र संख्या 17/2012 धारा 212 आरटीए को इस आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण बघेल व शमशेर सिंह राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है और उनका नजदीकी संबंध वर्तमान में सताधारी राजनैतिक लोगो से है और मामले में छोटी छोटी तारीख पेशीयां दी गई है और उनका प्रा0 पत्र को भी बिना जबाब के खारिज कर दिया गया है। प्रा0 पत्र को खारिज करने के संबंध में प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु रेमेडी उपलब्ध है। जहां तक राजनैतिक दबाब का प्रश्न है यह साधारण प्रकृति का आरोप है जो कभी भी किसी पर लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर